बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड
BIHAR STATE EDUCATIONAL INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT CORPORATION LTD.

(A Govt. of Bihar Undertaking)

ISO 9001; 14001; OHSAS 18001

Shiksha Bhawan, Bihar Rashtrabhasha Parishad Campus, Acharya Shivpujan Sahay Path, Saidpur, Patna - 800 004

Tel. No.: 0612 - 2660850 • Fax No.: 0612 - 2660256

E-mail : bseidc@gmail.com • Website : http://www.bseidc.in • CIN : U80301BR2010SGC015859

Letter No. / **कार्यालय–आदेश** Date :

कार्यालय आदेश सं०: 199 पटना, दिनांक: 07/10/2017

आवेदक मेसर्स सत्यनारायण सिंह, श्री कृष्णापुरी, देवघर, झारखण्ड द्वारा ग्रुप सं० SSS-252 (एकरारनामा सं० 563 SBD of 2014-15 दिनांक 20.05.2015) के भवन निर्माण कार्य को एकरारित समय के अंतर्गत कार्य पूर्ण नहीं किये जाने के कारण Defaulter घोषित करते हुए इस कार्य को पूर्ण होने तक इस कार्यालय के पत्रांक BSEIDC/TECH/979/2016-252 दिनांक 13.01.2017 द्वारा इनको अगली निविदा में भाग लेने से वंचित किया गया था।

इस संबंध में संवेदक के पत्रांक 588 दिनांक 05.10.2017 द्वारा आवेदन दिया गया है कि उनको डिबार करने हेतु कार्यपालक अभियंता, भागलपुर प्रमण्डल द्वारा निर्गत किया गया कारण पृच्छा पत्र वस्तुतः डिबार करने हेतु उनके द्वारा मुख्यालय को भेजे गये पत्र के बाद प्राप्त हुआ है। इनके द्वारा अंकित किया गया है कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने कारण माँगी गई सुरक्षा के अभाव में कार्य पूर्णतः बन्द है। इस संबंध में वस्तुस्थिति निम्नवत् पाया गया है :–

(1) दिनांक 23.08.2015 को ग्रुप सं० SSS-252 अंतर्गत मध्य विद्यालय केड़िया इनारावरण के कार्य स्थल पर हुए नक्सली हमला के कारण थाना–फुलीडुम्मर (अमरपुर) में Case no.–254/15 दिनांक 23.08.2015 प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

(2) कार्यपालक अभियंता, भागलपुर प्रमण्डल के पत्रांक 602 C दिनांक 26.11.2016 द्वारा संवेदक को कार्य पूर्णतः बंद रहने के संबंध में स्पष्टीकरण माँगा गया था जो कार्य स्थल पर संवेदक के किसी प्रतिनिधि के उपलब्ध नहीं रहने के कारण पत्र हस्तगत नहीं हो सका। इसे पुनः दिनांक 11.12.2016 को कार्यपालक अभियंता, भागलपुर प्रमण्डल के e-mail Id surendravasta@gmail.com द्वारा संवेदक के e-mail id: mssatyanarayansingh@gmail.com पर भेजा गया।

(3) उक्त पत्र के आलोक में संवेदक द्वारा दिनांक 11.12.2016 को ही अपना स्पष्टीकरण कार्यपालक अभियंता के e-mail Id: surendravasta@gmail.com पर भेज दिया गया था।

(4) संवेदक को स्पष्टीकरण हेतु e-mail से पत्र भेजने के पूर्व ही कार्यपालक अभियंता, भागलपुर प्रमण्डल द्वारा अपने पत्रांक 681 दिनांक 05.12.2016 के द्वारा कार्य बन्द रहने के कारण संवेदक को डिबार करने हेतु अनुशंसा मुख्य अभियंता, BSEIDC, पटना को की गई थी।

(5) संवेदक को कारण पृच्छा का पत्र हस्तगत कराये जाने एवं स्पष्टीकरण प्राप्त होने के पूर्व ही कार्यपालक अभियंता, भागलपुर प्रमण्डल द्वारा संवेदक को डिबार करने हेतु की गई अनुशंसा नैसर्गिक न्याय (Natural Justice) नहीं है।

इस संबंध में कार्यपालक अभियंता, भागलपुर प्रमण्डल के पत्रांक 907 दिनांक 06.10.2017 द्वारा भी प्रक्रियात्मक तकनीकी भूल स्वीकार करते हुए संवेदक को डिबार से मुक्त करने हेतु अनुशंसा की गई है।

सभी तथ्यों पर विचारोपरांत मेसर्स सत्यनारायण सिंह को डिबार किये जाने की तिथि 13.01.2017 से डिबार मुक्त किया जाता है। इस पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/- 07/10/17

मुख्य अभियंता

ज्ञापांक: BSEIDC/FIN/1161/2014- 6812 पटना, दिनांक 07/10/2017

प्रतिलिपि: मेसर्स सत्यनारायण सिंह, श्रीकृष्णापुरी, देवघर, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/- 07/10/17

मुख्य अभियंता

ज्ञापांक: BSEIDC/FIN/1161/2014- 6812 पटना, दिनांक 07/10/2017

प्रतिलिपि: वरीय लेखा पदाधिकारी/कार्यपालक अभियंता, भागलपुर प्रमण्डल/सभी अधीक्षण अभियंता/ कार्यपालक अभियंता (मु0)/मुख्य परामर्शी (तकनीकी) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/- 07/10/17

मुख्य अभियंता

ज्ञापांक: BSEIDC/FIN/1161/2014- 6812 पटना, दिनांक 07/10/2017

प्रतिलिपि: अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/ लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/नगर विकास विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम, पटना/बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

ह0/- 07/10/17

मुख्य अभियंता

ज्ञापांक: BSEIDC/FIN/1161/2014- 6812 पटना, दिनांक 07/10/2017

प्रतिलिपि: प्रबंध निदेशक महोदय को सूचनार्थ समर्पित।

ह0/- 07/10/17

मुख्य अभियंता